राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बून्दी

Email-dsofood-bun-rj@nic.in

क्रमांकः रसद/एफपीएस/26/606 दिनांकः— 20.05.2026

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले मे विभिन्न कारणों से रिक्त 05 उचित मूल्य दुकानो के लिये इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

इस हेतु विभागीय दिशा निर्देश क्रमांक एफ17(1)खावि/विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एंव क्रमांक एफ17(05)खावि/न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 के अन्तर्गत जिला रसद कार्यालय बून्दी से सशुल्क आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2026 से प्राप्त किये जाकर जमा करवाने की अंतिम तिथि दिनांक 10.06.2026 (सायं 06.00 बजे तक) तक निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजो के साथ जमा करवाये जा सकेंगे।

जिले मे रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	*ग्राम पंचायत/नगरपरिषद*	*तहसील*	*उपखंड*	*पोस कोड*	*आरक्षण की स्थिति*
01	नगरपरिषद क्षेत्र (सदर बाजार क्षेत्र बूंदी शहर) वार्ड संख्या 13 एवं 14	बूंदी	बूंदी	8305	*महिला आरक्षित*
02	ग्राम पंचायत लोईचा	बूंदी	बूंदी	3198	अनारक्षित
03	ग्राम पंचायत **गरडदा**	बूंदी	बूंदी	3167	अनारक्षित
04	ग्राम पंचायत **डाबी**	तालेड़ा	तालेड़ा	12613	अनारक्षित
05	ग्राम पंचायत **पगारा**	हिण्डोली	हिण्डोली	3002	अनारक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ17(1)खावि/विधि/08 दिनांक 17.3.2016 एंव क्रमांक एफ17(05)खावि/न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा—निर्देशों मे वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। परिपत्रों दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के दिशा—निर्देशों तथा नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.in व कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बूंदी में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं जमाः—

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्त्ता का रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो तथा दो फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल कार्यालय जिला रसद अधिकारी बून्दी से जारी किये जायेंगे, अन्य किसी स्थान [illegible]

Validity unknown

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.22 09:18:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22354653
M e-Sign

से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– रूपये निर्धारित है, जो जिला रसद अधिकारी, बून्दी के नाम से आवेदन पत्र प्राप्त करने से पूर्व ई–चालान अथवा पोस्टल ऑर्डर के जरिये 1475–00–800–04–01 मद मे जमा करवाकर पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत कर प्राप्त किये जा सकेंगे। अन्तिम तिथि तक सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र को जमा करवाना होगा।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्त्ताओं की पात्रतायें निम्नानुसार होगी :–

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदनकर्त्ता उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की आधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान विज्ञापित है।
2. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नही हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के छः माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
4. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगें। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
5. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती हैं, तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती हैं, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जायेगा।
6. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट चौड़ी रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 फीट गुना 20 फीट बराबर 200 वर्गफीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
7. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा –
   - आवेदक पूर्व में ईसी एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
   - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।

Validity unknown
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.22 09:18:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22354653
M e-Sign

- आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता–पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
- आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित्त है, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
- आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

8. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वंय सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/– होना आवश्यक है।
9. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वंय सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आकलन के निम्न आधार होंगे।
    - समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
    - समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
    - समूह के सदस्य तीन वर्षो से आंतरिक लेन–देन में संलग्न हो।
10. आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओ को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देदशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, मान्य होंगी। एक ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को एक उचित मूल्य की दुकान के लिए ही प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा।जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया हैं, वह आवेदन हेतु पात्र नही होगा।
12. आवेदक द्वारा दी गई सूचनांए गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
13. सभी रिक्त/अतिरिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदको को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी किसी भी विज्ञप्ति के तहत् जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं हैं।
14. उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्ति, विभिन्न अपीलीय/न्यायिक न्यायालयों के निर्णयों के अध्याधीन होगा।
15. उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्धि/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

(हरफूल सिंह यादव)
जिला कलक्टर (रसद)
बून्दी

Validity unknown

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.22 09:18:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22354653
M e-Sign

क्रमांक :–रसद / एफपीएस / 2026 / 607–617 दिनांकः– 20.05.2026

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
3. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
4. एस.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
5. माननीय सांसद, लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा / कोटा–बून्दी।
6. माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र बून्दी / हिण्डोली।
7. उपखण्ड अधिकारी बून्दी / हिण्डोली।
8. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को बून्दी के स्थानीय समाचार पत्रो ंमे ंनिःशुल्क प्रकाशनार्थ।
9. प्रवर्तन अधिकारी / निरीक्षक कार्यालय हाजा।
10. मनोनीत सदस्य, उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति जिला बून्दी।
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर बून्दी।

जिला कलक्टर (रसद)
बून्दी

Validity unknown

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.22 09:18:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22354653

M e-Sign